



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062021-227945
CG-DL-E-28062021-227945

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352]
No. 352]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 28, 2021/आषाढ़ 7, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28, 2021/ASHADHA 7, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2021

सा.का.नि. 440(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेड्समैन संवर्ग) भर्ती नियम-2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेड्समैन संवर्ग) भर्ती (संशोधन) नियम 2021 है।
(2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' पद (सामान्य ड्यूटी, तकनीकी और ट्रेड्समैन काडर) भर्ती नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम-4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।”

- उक्त नियमों की, अनुसूची में :-

- (क) (i) स्तंभ (4) में, सामान्य ड्यूटी संवर्ग उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ शीर्षक और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर—6 (35400—112400 /— रुपये)”;

- (ii) स्तंभ 11 में, “पदोन्नति द्वारा”, उप शीर्षक के अधीन,—

(क) ‘टिप्पण 1’ को “टिप्पण” के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ;

(ख) ‘टिप्पण 2’ का लोप किया जाएगा ;

- (ख) (i) स्तंभ (4) में, निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:—

“स्तर—7 (44900—142400 /— रुपये)”;

- (ii) स्तंभ 11 में, “पदोन्नति द्वारा”, उप शीर्षक के अधीन,—

(ए) ‘टिप्पण 1’ को “टिप्पण” के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ;

(बी) ‘टिप्पण—2’ का लोप किया जाएगा ;

- (ग) (i) स्तंभ (4) में, तकनीकी संवर्ग उप निरीक्षक (आरमोरर) के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:—

“स्तर—6 (35400—112400 /— रुपये)”;

- (ii) स्तंभ 11 में, “पदोन्नति द्वारा”, उप शीर्षक के अधीन,—

(ए) ‘टिप्पण 1’ को “टिप्पण” के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ;

(बी) ‘टिप्पण—2’ का लोप किया जाएगा ;

- (घ) (i) स्तंभ (4) में, उप निरीक्षक (मोटर मैकेनिक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:—

“स्तर—6 (35400—112400 /— रुपये)”;

- (ii) स्तंभ 11 में, “पदोन्नति द्वारा”, उप शीर्षक के अधीन,—

(ए) ‘टिप्पण 1’ को “टिप्पण” के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ;

(बी) ‘टिप्पण—2’ का लोप किया जाएगा ;

- (ङ) (i) स्तंभ (4) में, उप निरीक्षक (मोटर परिवहन) पद से संबंधित क्रम संख्या 5 के सामने, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:—

“स्तर—6 (35400—112400 /— रुपये)”;

- (ii) स्तंभ 11 में, “पदोन्नति द्वारा”, उप शीर्षक के अधीन,—

(ए) ‘टिप्पण 1’ को “टिप्पण” के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ;

(बी) ‘टिप्पण—2’ का लोप किया जाएगा ;

- (च) (i) स्तंभ (4) में, निरीक्षक (आरमोरर) पद से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:—

“स्तर-7 (44900-142400 / - रूपये)”;

(ii) स्तंभ 11 में, “पदोन्नति द्वारा”, उप शीर्षक के अधीन,—

(ए) ‘टिप्पण 1’ को “टिप्पण” के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ;

(बी) ‘टिप्पण-2’ का लोप किया जाएगा ;

(छ) (i) स्तंभ (4) में, निरीक्षक (मोटर परिवहन) पद से संबंधित क्रम संख्या 7 के सामने, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातः—

“स्तर-7 (44900-142400 / - रूपये)”;

(ii) स्तंभ 11 में, “पदोन्नति द्वारा”, उप शीर्षक के अधीन,—

(ए) ‘टिप्पण 1’ को “टिप्पण” के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ;

(बी) ‘टिप्पण-2’ का लोप किया जाएगा ;

(ज) (i) स्तंभ (4) में, ट्रेड्समैन संवर्ग उप निरीक्षक (दर्जी) के पद से संबंधित क्रम संख्या 8 के सामने, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातः—

“स्तर-6 (35400-112400 / - रूपये)”;

(ii) स्तंभ 11 में, “पदोन्नति द्वारा”, उप शीर्षक के अधीन,—

(ए) ‘टिप्पण 1’ को “टिप्पण” के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ;

(बी) ‘टिप्पण-2’ का लोप किया जाएगा ;

(झ) (i) स्तंभ (4) में, उप निरीक्षक (ब्रास बैंड) पद से संबंधित क्रम संख्या 9 के सामने, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातः—

“स्तर-6 (35400-112400 / - रूपये)”;

(ii) स्तंभ 11 में, “पदोन्नति द्वारा”, उप शीर्षक के अधीन,—

(ए) ‘टिप्पण 1’ को “टिप्पण” के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ;

(बी) ‘टिप्पण-2’ का लोप किया जाएगा ;

(ञ) (i) स्तंभ (4) में, उप निरीक्षक (पाइप बैंड) पद से संबंधित क्रम संख्या 10 के सामने, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातः—

“स्तर-6 (35400-112400 / - रूपये)”;

(ii) स्तंभ 11 में, “पदोन्नति द्वारा”, उप शीर्षक के अधीन,—

(ए) ‘टिप्पण 1’ को “टिप्पण” के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ;

(बी) ‘टिप्पण-2’ का लोप किया जाएगा ;

(ट) (i) स्तंभ (4) में, निरीक्षक (बैंड) पद से संबंधित क्रम संख्या 11 के सामने, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातः—

“स्तर-7 (44900-142400 / - रूपये)”;

(ii) स्तंभ 11 में, “पदोन्नति द्वारा”, उप शीर्षक के अधीन,—

(ए) ‘टिप्पण 1’ को “टिप्पण” के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा ;

(बी) ‘टिप्पण-2’ का लोप किया जाएगा ।

टिप्पणः— मूल नियम अधिसूचना सं. सा.का.नि. 88(अ) तारीख 5 फरवरी 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. सा.का.नि. 195 (अ) तारीख 19 मार्च 2014 और सा.का.नि. सं. 899 (अ) तारीख 21 सितम्बर 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2021

G.S.R. 440(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949(66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Reserve Police Force, Group ‘B’ posts (General Duty, Technical and Tradesmen Cadre) Recruitment Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force, Group ‘B’ posts (General Duty, Technical and Tradesmen Cadre) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into Force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Reserve Police Force, Group ‘B’ posts (General Duty, Technical and Tradesmen Cadre) Recruitment Rule, 2014, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

“4. Number of posts, classification and level in pay matrix.- The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule amended to these rules.”;

3. In the said rules, in the Schedule,-

- (a) (i) against serial number 1, relating to the post of General Duty Cadre Sub-Inspector(General Duty), in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely :-

“Level in pay matrix.
(4)
Level -6 (Rs. 35400-112400/-).”;

- (ii) in column (11), under the sub-heading “By promotion”,-
- (A) ‘Note 1’ shall be renumbered as “Note”;
- (B) ‘Note 2’ shall be omitted;
- (b) (i) against serial number 2, relating to the post of Inspector (General Duty), in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level -7 (Rs. 44900-142400/-).”;

- (ii) in column (11), under the sub-heading “By promotion”,-
- (A) ‘Note 1’ shall be renumbered as “Note”;
- (B) ‘Note 2’ shall be omitted;

- (c) (i) against serial number 3, relating to the post of Technical Cadre Sub-Inspector (Armourer), in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level -6(Rs. 35400-112400/-).”;

- (ii) in column (11), under the sub-heading “By promotion”,-

(A) ‘Note 1’ shall be renumbered as “Note”;

(B) ‘Note 2’ shall be omitted;

- (d) (i) against serial number 4, relating to the post of Sub-Inspector (Motor Mechanic), in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level -6(Rs. 35400-112400/-).”;

- (ii) in column (11), under the sub-heading “By promotion”,-

(A) ‘Note 1’ shall be renumbered as “Note”;

(B) ‘Note 2’ shall be omitted;

- (e) (i) against serial number 5, relating to the post of Sub-Inspector (Motor Transport), in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level -6(Rs. 35400-112400/-).”;

- (ii) in column (11), under the sub-heading “By promotion”,-

(A) ‘Note 1’ shall be renumbered as “Note”;

(B) ‘Note 2’ shall be omitted;

- (f) (i) against serial number 6, relating to the post of Inspector (Armourer), in column (4), for the entries relating thereto the following entries shall be substituted, namely:-

“Level -7 (Rs. 44900-142400/-).”;

- (ii) in column (11), under the sub-heading “By promotion”,-

(A) ‘Note 1’ shall be renumbered as “Note”;

(B) ‘Note 2’ shall be omitted;

- (g) (i) against serial number 7, relating to the post of Inspector (Motor Transport), in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level -7 (Rs. 44900-142400/-).”;

- (ii) in column (11), under the sub-heading “By promotion”,-

(A) ‘Note 1’ shall be renumbered as “Note”;

(B) ‘Note 2’ shall be omitted;

- (h) (i) against serial number 8, relating to the post of Tradesmen Cadre Sub-Inspector (Tailor), in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level -6(Rs. 35400-112400/-).”;

- (ii) in column (11), under the sub-heading “By promotion”,-
 - (A) ‘Note 1’ shall be renumbered as “Note”;
 - (B) ‘Note 2’ shall be omitted;
- (i) (i) against serial number 9, relating to the post of Sub-Inspector (Brass Band), in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level -6(Rs. 35400-112400/-).”;

- (ii) in column (11), under the sub-heading “By promotion”,-
 - (A) ‘Note 1’ shall be renumbered as “Note”;
 - (B) ‘Note 2’ shall be omitted;
- (j) (i) against serial number 10, relating to the post of Sub-Inspector (Pipe Band), in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level -6(Rs. 35400-112400/-).”;

- (ii) in column (11), under the sub-heading “By promotion”,-
 - (A) ‘Note 1’ shall be renumbered as “Note”;
 - (B) ‘Note 2’ shall be omitted;
- (k) (i) against serial number 11, relating to the post of Inspector (Band), in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level -7 (Rs. 44900-142400/-).”;

- (ii) in column (11), under the sub-heading “By promotion”,-
 - (A) ‘Note 1’ shall be renumbered as “Note”;
 - (B) ‘Note 2’ shall be omitted.

[F. No. M.V-1/2019-Estt-7th CPC]
LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers.-II)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section(1) *vide* notification number **G.S.R. 88 (E), dated the 5th February, 2014** and was subsequently amended *vide* notifications number **G.S.R. 195 (E), dated the 19th March, 2014** and **G.S.R. 899(E), dated the 21st September, 2016**.